न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 31/2024

श्री मदन लाल पुत्र श्री छीतर मल माली शिवाजी कॉलानी, गली नं. 18, तेजाजी महाराज मन्दिर के पास जिरात की ढाणी, वार्ड नं. 31 निवाई जिला टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

यथोचित कार्यवाही हेतु दिनांक 01/08/2023 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया टोंक सहित प्रति थानेदार थाना–निवाई एवं उपजिला कलेक्टर व तहसीलदार निवाई, टोक (राज.) दिनांक 04/08/2023 प्रत्येक को पंजिकृत डाक से प्रेषित में आपका आमद क्रमांक दिनांक सहित व अब तक की गई एवं नहीं की गई कार्यवाही सहित दिन प्रतिदिन का प्रगति रिपोर्ट व सम्बन्धित आदेश/निर्देश एवं नियम / कानून की क्रमवार तथ्यात्मक वैधानिक सूचना मय सम्बन्धित की प्रमाणि प्रति उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 990 दिनांक 12.07.2024, 1037 दिनांक 25.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 464 दिनांक 31.07.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में उनके पत्र क्रमांक 308–309 दिनांक 06.06. 2024 से प्रार्थना पत्र पुलिस उप अधीक्षक निवाई एवं थानाधिकारी निवाई को प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पत्रांक न्याय/परिवाद/2023/20098 दिनांक 10.08.2023 एवं उप उपखण्ड अधिकारी निवाई के पत्रांक 6056–57 दिनांक 24.08.2023 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। अपीलार्थी पुलिस उप अधीक्षक निवाई एवं थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने की स्थिति मे उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)